



## उ0प्र0 विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा सहायक कुलसचिव परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: 28/08/2024

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन

स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : 28/09/2024

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अंतिम तिथि : 05/10/2024

### महत्वपूर्ण

- (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
- (c) ओटी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां यथा समय मांगे जाने पर संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।

**विशेष सूचना :-** (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

### 1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

- User Instructions
- View Advertisement
- Apply

**User Instructions** में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

**प्रथम चरण - 'APPLY' Click** करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) 'Yes' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् 'Click here to Authenticate' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) 'No' पर Tick करने के पश्चात् 'Go' बटन पर Click करता है तो:- (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ. टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

**द्वितीय चरण-** प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

**तृतीय चरण-** द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(I) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके आवश्यक प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

**नोट:-** निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में **Payment** करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

**चतुर्थ चरण-** तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

### विशेष अनुदेश

- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डेमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई-डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।
- अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरान्त यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत् परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।
- यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।
- किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

**2- आवेदन शुल्क :** ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

- |  |  |
|--|--|
| (i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग    | परीक्षा शुल्क रु 200/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 225/- |
| (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति                        | परीक्षा शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 105/-  |
| (iii) दिव्यांगजन   | परीक्षा शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 25/-       |
| (iv) भूतपूर्व सैनिक  | परीक्षा शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 105/-  |
| (v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी | अपनी मूल श्रेणी के अनुसार  |

3. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्नगत् पद पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। केवल उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा जो उक्त लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल घोषित होंगे। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांकों के कुल योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से दी जायेगी।

4. **रिक्तियों की संख्या :-** वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र के अन्तर्गत सहायक कुलसचिव पद हेतु रिक्तियों की संख्या 38 है, जो परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत् है-

अनारक्षित	-18 रिकित	दिव्यांगजन	-01 रिकित (एल0वी0)
अनुसूचित जाति	-07 रिकित	भूतपूर्व सैनिक	-01 रिकित
अनुसूचित जनजाति	-00 रिकित	महिला	-07 रिकित
अन्य पिछड़ा वर्ग	-10 रिकित		
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-03 रिकित		

**पद -समूह "ख" अराजपत्रित है। वेतनमान : ₹0 9,300 /- से ₹0 34800 /- (लेवल - 8)**

**5. आरक्षण:** उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों/उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्रीय आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिकित्यां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिकित्यां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट:- (1)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं0 5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिकित्यां पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है- दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिन्हित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिकित पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिकित पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्त की पद संगत श्रेणी की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिन्हित किया गया हो।

**(2)** शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, 'यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य हैं' को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

**(3)** ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं. -1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.- II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

**(4)** किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएं O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

**(5)** आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

**(6)** उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी अवश्य अंकित करें।

**(7)** एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

**(8)** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

**(9)** महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

**(10)** अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रश्नगत् परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**6. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):-**

आपात कमीशन प्राप्त/ अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-

**(अ)** ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

**(ब)** ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अपडेटेडिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, **यदि**

**(क)** उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

**(ख)** वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

**(ग)** वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी हो।

**7. वैवाहिक प्रस्थिति :-** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

**8. शैक्षिक अर्हतायें :-** अनिवार्य: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि। हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो। (ख) किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय के कार्यालय में न्यूनतम 07 वर्ष का कार्य करने का अनुभव जिसके साथ अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में आलेखन का ज्ञान तथा लेखा नियमों का ज्ञान हो।

**नोट- उक्त अनुभव के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।**

**स्नातक की समकक्ष उपाधि/अर्हता :-** भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312 एलसी/2022, दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है :-''.....3- उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं: -

**(1)-** ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान हैं तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

**(2)-** उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में

अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की उक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय: -

**(1)** केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियाँ स्नातक के रूप में मान्य होगी।

**(2)** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे।

**(3)** किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/विनियामक निकायों से, जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**(4)** उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।''

**नोट:- (i) आवेदन Submit किये जाने की अन्तिम तिथि तक समस्त अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक है।**

**(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिये निर्धारित अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा हेतु आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।**

**● प्रश्नगत पद पर चयन हेतु शासन के पत्र दिनांक 24 जून, 2024 के क्रम में दिव्यांगजन की केवल एल0वी0 उपश्रेणी ही चिन्हांकित है।**

**09. आयु सीमा:- (1.)** अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2024 को 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1994 के बाद का नहीं होना चाहिए।

**(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट:- (क)** उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जन जाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उ0प्र0 राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**(ख)** उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1964 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**(ग)** उ. प्र. के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गयी सेवा अवधि +03 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

**(घ)** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को उच्च आयु सीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं है।

किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसने केन्द्रीयित सेवा में या विश्वविद्यालय में किसी पद पर पहले से ही कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा उतनी अधिक होगी जितनी उसने 9 (1) में उल्लिखित आयु सीमा के उपरान्त निरन्तर सेवा की हो।

**10- परीक्षा एवं साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायें :-** (1) परीक्षा की तिथि एवं केन्द्र की सूचना आयोग द्वारा ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से बाद में दी जायेगी। (2) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी, उस समय अभ्यर्थियों को दो फोटोग्राफ अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित तथा दो अप्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। (3) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् अभ्यर्थियों को अपने सेवायोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**नोट :-** अभ्यर्थियों को अपने ऑन लाइन आवेदन की हार्ड कापी के साथ ऑन लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा पृथक से यथासमय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ को संलग्न कर अपने ऑन लाइन आवेदन की हार्ड कापी प्रेषित नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भी पृथक से भरना होगा।

**11. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:-**

(1) हार्डस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को प्रश्नगत् परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हार्डस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(4) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

(5) कदाशय अर्थात् परीक्षा में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश, 2024 दिनांक 1 जुलाई, 2024 के प्राविधान प्रश्नगत् परीक्षा में लागू रहेंगे।

(6) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, O.T.R. No./Application ID, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(7) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(8) लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु 03 (तीन) गुना तक अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है क्योंकि अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार होगा।

(9) याचिका सं0 (सी0) 165/2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(10) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त



करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।  
 (11) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा लिखित परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।  
 (12) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कट्टरचित **Submit** किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।  
 (13) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

**सामान्य अनुदेश**

1- अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।  
 2- सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
 3- आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।  
 4- आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।  
 5- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453/79-वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।  
 6- यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।  
 7- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर, परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम परिशिष्ट-2 पर तथा पद सम्बन्धी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

**Detailed Application Form:**

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

**Notification Details**

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

**Personnel Details from OTR**

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

**Education & Experience Details**

It shows your educational and experience details

**Declaration segment**

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

**[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]**

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

**IMPORTANT ANNOUNCEMENT**

**:- NOTIFICATIONS /ADVERTISEMENTS**

• All Notification/Advertisements

**:- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION**

- Candidate Registration
- Fee Deposition /Reconciliation
- Submit Application Form
- Modify Submitted Application
- Candidate Dashboard (OTR Based)

**:- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION**

- Double Verification mode
- View Application Status

- Download Admit Card
- Print Duplicate Registration Slip
- Print Detailed Application Form
- List of Applications Having ANY Objections
- View Answer Key

**LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:** On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

**परिशिष्ट – 1**


**उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)**  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।  
 स्थान ..... हस्ताक्षर.....  
 दिनांक ..... पूरा नाम.....  
 मुहर ..... पद नाम.....  
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।  
 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।  
 स्थान ..... हस्ताक्षर .....  
 दिनांक ..... पूरा नाम .....  
 मुहर ..... पद कानाम .....  
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**(प्रपत्र-1)  
उत्तर प्रदेश सरकार**

**कार्यालय का नाम.....**  
**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र**  
 प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक .....  
**वित्तीय वर्ष .....के लिए मान्य**  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री.....  
 ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..  
 राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-  
 I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
 II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।  
 III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
 IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
 2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।  
 हस्ताक्षर .....(कार्यालय का मुहर सहित)  
 पूरा नाम .....  
 पदनाम .....  
 जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।



**(प्रपत्र- 1।)**

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र स्वयं घोषणा पत्र**  
 मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... ग्राम/कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... ब्लॉक ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-  
 1. मैं ..... जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु .....  
..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।  
अथवा  
कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) ..... आर्थिक  
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में  
से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।

I. 5 (पॉंच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।  
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।  
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।  
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं  
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी  
गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर  
दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति  
निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया  
गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली  
कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :- आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।  
दिनांक:-

**Certificate No.** ..... **Date:** .....

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum .....  
son/wife/ daughter of Shri ..... Date of birth  
(DD/MM/YY).....age..... years,  
male/ female.....Registration No.....  
permanent resident of House No.....  
Ward/Village/Street..... Post Office.....  
District..... State.....  
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:  
(A) he/she is a case of  
Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been  
evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to  
be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability  
in the table below:

S. No.	Disability	Affected part	Diagnosis	Permanent physical/Impairment mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

**उपरो के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र**  
**(दिव्यांगजन प्रारूप)**  
**Form-II**  
**Certificate of Disability**  
**(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism**  
**and in case of blindness)**  
**(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)**

Recent  
passport size  
attested  
photograph  
(showing face  
only) of the  
person with  
disability

**Certificate No.** ..... **Date:** .....

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.....  
..... son/wife/daughter of Shri.....Date of Birth  
(DD/MM/YY).....Age .....years,  
male/female..... registration No. ....  
permanent resident of House No. ....  
Ward/Village/Street .....Post office.....  
District.....State.....  
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:  
● locomotor disability  
● dwarfism  
● blindness  
(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is.....

(A) he/she has .....% (in figure).....  
percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation  
to his/her..... (part of body) as per guidelines (.....number  
and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per  
guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:  
In figures.....percent.  
In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

**3. Reassessment of disability is:-**  
(i) not necessary,  
or  
(ii) is recommended/ after..... years.....  
months, and therefore this certificate shall be valid till .....  
(DD) (MM) (YY)

@ -e.g. Left/right/both arms/legs  
# - e.g. Single eye  
£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Member Medical Board with seal	(Dr.....) Chairperson Medical Board with seal
---	---	--

Signature/thumb impression  
of the person in whose  
favour certificate of  
disability is issued

Countersigned by the  
Chief Medical Officer  
(with seal)

5. Signature and seal of the Medical Authority.

<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of Member</b>	<b>Name and Seal of the Chairperson</b>
------------------------------------	------------------------------------	---

Signature/thumb impression  
of the person in whose  
favour certificate of  
disability is issued

Countersigned by the  
Chief Medical Officer  
(with seal)

**Form-III**  
**Certificate of Disability**  
**(In cases of multiple disabilities)**  
**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent  
passport size  
attested  
photograph  
(showing face  
only) of the  
person with  
disability

**Form-IV**  
**Certificate of Disability**  
**(In cases of other than those mentioned in Forms II and III )**  
**(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)**

Recent  
passport size  
attested  
photograph  
(showing face  
only) of the  
person with  
disability

<b>Certificate No.</b>		<b>Date:</b>	
This is to certify that we have carefully examined			
Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri .....		Date of birth (DD/MM/YY) .....	
..... age .....		years, male/female.....	
Registration No.....		permanent resident of House No.....	
Street.....		Post Office.....	
District.....		State.....	
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below			
<b>S. No.</b>	<b>Disability</b>	<b>Affected part of body</b>	<b>Diagnosis</b>
6.	Low Vision	#	
7.	Deaf	£	
8.	Hard of Hearing	£	
9.	Speech and Language disability		
10.	Intellectual Disability		
11.	Specific Learning Disability		
12.	Autism Spectrum Disorder		
13.	Mental illness		
14.	Chronic Neurological Conditions		
15.	Multiple sclerosis		
16.	Parkinson's disease		
17.	Haemophilia		
18.	Thalassemia		
19.	Sickle Cell disease		
(Please strike out the disabilities which are not applicable)			
2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.			
<b>3. Reassessment of disability is :-</b>			
(i) not necessary.			
or			
(ii) is recommended/after .....years .....			
months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) .....			
@ e.g. Left/right/both arms/legs			
# e.g. Single eye/both eyes			
£ e.g. Left/Right/both ears			
4. Signature and seal of the Medical Authority.			
<b>Name and Seal of Member</b>		<b>Name and Seal of Member</b>	
<b>Name and Seal of the Chairperson</b>			
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	
<b>उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।</b>			
<b>प्रमाण-पत्र</b>			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... निवासी ..... ग्राम.....			
तहसील.....नगर..... जिला ..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा			
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .....			
पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांतिक अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) .....			
के आश्रित हैं।			
स्थान.....		हस्ताक्षर .....	
दिनांक.....		पूरा नाम .....	
		पदनाम .....	
		मुहर .....	
		जिलाधिकारी.....	
		सील.....	
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्रारूप -1			
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)			
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी .			
..... पूरा पता ..... ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) ..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।			
स्थान .....		हस्ताक्षर .....	
दिनांक .....		नाम .....	
		पद .....	
		संस्था का नाम .....	
		मुहर .....	
<b>नोट :</b> यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।			
<b>प्रारूप - 2</b>			
<b>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</b>			
<b>सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम .....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</b>			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) .....ने दिनांक.....से दिनांक.....तक.....में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम).....आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।			
स्थान .....		हस्ताक्षर .....	
दिनांक .....		नाम .....	
		पद .....	
		संस्था का नाम .....	
		मुहर .....	
<b>नोट :</b> यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।			
<b>प्रारूप - 3</b>			
<b>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</b>			
<b>विश्वविद्यालय का नाम ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र</b>			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवास (पूरा नाम) ..... विश्वविद्यालय की कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद .....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।			
स्थान .....		हस्ताक्षर .....	
दिनांक .....		नाम .....	
		पद .....	
		संस्था का नाम .....	
		मुहर .....	
<b>नोट :</b> यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।			
<b>प्रारूप - 4</b>			
<b>(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)</b>			
डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश ..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र			
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..... निवासी (पूरा पता) ..... में ..... स्कूल में कक्षा ..... के विद्यार्थी ने दिनांक ..... से दिनांक ..... तक ..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ..... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।			
स्थान .....		हस्ताक्षर .....	
दिनांक .....		नाम .....	
		पद .....	
		संस्था का नाम .....	
		मुहर .....	
<b>नोट :</b> यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा ..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।			
<b>परिशिष्ट -2</b>			
<b>परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम</b>			
<b>विषय</b>	<b>परीक्षा अवधि</b>	<b>अधिकतम अंक</b>	
1. सामान्य अध्ययन	3 घंटे	200	
2. सामान्य हिन्दी, सारांश आलेखन, निबन्ध	3 घंटे	200	
3. उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया सम्बन्धी नियम	3 घंटे	100	
4. व्यक्तित्व परीक्षा /साक्षात्कार		50	
		<b>योग 550</b>	



<b>सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषयों पर प्रश्न किये जायेंगे।</b>	
<p>1. सामान्य विज्ञान 2. राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनायें 3. भारत का इतिहास 4. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 5. भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थ व्यवस्था 6. विश्व भूगोल तथा जनसंख्या</p> <p>सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से सम्बन्धित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो।</p> <p>भारत के इतिहास के अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा।</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है।</p> <p>भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे।</p> <p>विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक/पारिस्थितिक आर्थिक, सामाजिक जनांकिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जायेगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त विषयों की सामान्य जानकारी (अभिज्ञा) विशेषतः उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है।</p>	<p>चैप्टर-7- अधिष्ठान सम्बन्धी नियम। चैप्टर-8- आकस्मिक व्यय- विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ तथा नियंत्रण अधिकारी का दायित्व। चैप्टर-10- ऋण व अग्रिम सम्बन्धी लेखा नियम। चैप्टर-13- निर्माण कार्य सम्बन्धी लेखा नियम। चैप्टर-18- सेवा सम्बन्धी निधियाँ यथा कर्मचारी भविष्य निधि। 3. वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-3- यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम। चैप्टर-1- दैनिक भत्ता की परिभाषा, परिवार की परिभाषा, विभागाध्यक्ष, सड़क यात्रा भत्ता, जनसामान्य के लिए अनुमन्य वाहनों से यात्रा करना। चैप्टर-2- यात्रा सम्बन्धी सामान्य नियम। चैप्टर-3- सामान्य यात्राओं सम्बन्धी नियम। चैप्टर-4- विशेष यात्राओं सम्बन्धी नियम। -स्थानान्तरण पर अनुमन्य यात्रा भत्ता। -प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते समय अनुमन्य यात्रा भत्ता। -विभागीय परीक्षाओं पर भाग लेने हेतु अनुमन्य यात्रा भत्ता। -निलम्बन अवधि में की गयी सरकारी यात्राओं पर अनुमन्य यात्रा भत्ता अथवा साक्ष्य हेतु उपस्थित होने पर देय यात्रा भत्ता। चैप्टर-6- मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति पर अनुमन्य यात्रा भत्ता। चैप्टर-7- वाहन भत्ता सम्बन्धी नियम। 4. सिविल सर्विस रेगुलेशन: भाग 1, 4, 8 व 10 जैसा कि उ०प्र० राज्य में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया। भाग-4 सामान्य पेंशन नियम। -अर्ह सेवा की शर्तें। -सेवा अवधि आगणन के नियम। -पेंशन स्वीकृत करने की शर्तें। -देय पेंशन का निर्धारण। भाग-8- सेवा अभिलेखों का रख-रखाव। भाग-10- पेंशन आवेदन का प्रक्रियात्मक ज्ञान। 5. भण्डार क्रय नियम तथा उ०प्र० सरकार के अनुपूरक नियम तथा भण्डार क्रय के सम्बन्ध में निर्गत विभागीय (निदेशक उद्योग) के विभिन्न परिपत्र। 6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमन्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के विभिन्न वेतनक्रमों में वेतन निर्धारण, समयबद्ध प्रोन्नतियाँ, डाक्टरेट उपाधि धारी प्राध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धियाँ स्वीकृत करना आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों में उल्लिखित नियमों का सम्यक ज्ञान। 7. कार्यालयीय प्रक्रिया सम्बन्धी मैनुअल। मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्डर्स को सन्दर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोग किया जा सकता है। (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत परिपत्र के कतिपय अस्पष्ट बिन्दुओं को पूर्णतया स्पष्ट करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पत्र लिखने के लिए अभ्यर्थियों से कहा जाय। (ii) अभ्यर्थियों से कहा जाये कि वे कुलपति की तरफ से कुलाधिपति को एक अ०शा०पत्र लिख कर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के बीच वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी मामलों पर निर्णय देने का अनुरोध करें।</p>
<b>सामान्य हिन्दी</b>	
<b>समय: तीन घंटे</b>	<b>अधिकतम अंक: 200</b>
(1) निबन्ध लगभग 400 (चार सौ) शब्दों में	40 अंक
(2) गद्यांश - लगभग 300 (तीन सौ) शब्दों का	
(क) उचित शीर्षक	05 अंक
(ख) मूल गद्यांश का सारांश	20 अंक
(ग) तीन रेखांकित अंशों की व्याख्या	15 अंक
	<b>कुल 40 अंक</b>
(3) हिन्दी-आलेखन-	15+15=30 अंक
शासकीय, अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय -आदेश, कार्यालय-ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा- सूचना, टिप्पणी।	
(4) (क) किन्हीं पाँच शब्दों में से प्रत्येक के चार-चार पर्यायवाची शब्द बतायें-	10 अंक
(ख) किन्हीं पाँच शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बताइए-	05 अंक
(ग) किन्हीं पाँच शब्द-युग्मों में शब्दों के अर्थगत अन्तर स्पष्ट करते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए-	10 अंक
(घ) किन्हीं पाँच पदों में से प्रत्येक में समास का नाम बताइए-	05 अंक
(5) (क) किन्हीं पाँच शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए-	10 अंक
(ख) किन्हीं पाँच वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए-	10 अंक
(ग) किन्हीं पाँच वाक्यांशों में से प्रत्येक के लिए एक-एक शब्द दीजिए-	10 अंक
(6) (क) किन्हीं पाँच मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए-	15 अंक
(ख) किन्हीं पाँच शब्दों में से प्रत्यय और उपसर्ग छांटकर लिखिए-	05 अंक
(ग) किन्हीं पाँच शब्दों के एकाधिक अर्थ लिखिए-	10 अंक
<b>उ०प्र० वित्तीय नियम व कार्यालय "प्रक्रिया सम्बन्धी मैनुअल" का पाठ्यक्रम</b>	
1. उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-2 खण्ड 2 से 4 जहाँ तक इसका सम्बन्ध मूल नियम व सहायक नियमों से है। तथा वेतन निर्धारण, अवकाश नियम, सेवा सम्बन्धी प्रकरण।	
2. वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-5 खण्ड 1, लेखा नियमों की जानकारी हेतु। चैप्टर-4 व चैप्टर-5- वेतन व भत्तों सम्बन्धी लेखा नियम। चैप्टर-6- अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन देयकों का निर्माण।	
	<b>परिशिष्ट -3</b> <b>पद की संगत सेवा नियमावलि</b>
	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1986 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 1993 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2005 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021
	<b>सचिव</b>